कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.11.2024

विषय:- ग्राम अटेसुआ में मामूली विवाद में जान से मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में वांछित अभियुक्त कुन्दन यादव उर्फ अमरजीत यादव 48 घण्टे के अन्दर थाना चोलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार,घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 360/2024 धारा 191(2)/352/351(2)/109(1)/115(2)बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कुन्दन यादव उर्फ अमरजीत यादव पुत्र विजय यादव निवासी अटेसुआ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-03.11.2024 को समय करीब 14.30 बजे ग्राम औरा नहर-गहनी मोड़ से घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 01.11.2024 को मामूली बात को लेकर वादी मुकदमा श्री वीर सिंह राय पुत्र नन्दू राजभर निवासी ग्राम अटेसुआँ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी द्वारा के भाई मरजाद राजभर को विपक्षी सुजीत राजभर द्वारा अपने मित्र सुनील राजभर, कुन्दन यादव, रोहित यादव, आशीष राजभर को बुलाकर गोली मार दिया गया था गोली मरजाद राजभर के पैर मे लगी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0सं0 360/2024 धारा 191(2)/352/351(2)/109(1)/115(2)बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. लल्लन सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त कुन्दन यादव उर्फ अमरजीत यादव ने पूछने पर बताया कि मेरे ही गाँव के रोहित राजभर तथा सुजीत राजभर के बीच मामूली विवाद हुआ था उसी विवाद को लेकर सुजीत राजभर व सुनील राजभर पुत्रगण रामचन्दर जो हमारे गाँव के मित्र है, ने मुझे तथा रोहित यादव व आशीष राजभर को दबाव बनाने के बुलाया था तथा गाँव के कुछ लोग सहयोग मे थे विवाद बढ़ने के कारण मैने ही असलहा निकालकर गोली मारा था जिसमें मरजाद राजभर को पैर मे गोली लग गयी और हमलोग वहाँ से भाग गये थे। चूंकि सुजीत राजभर हमलोगो को बुलाया था इसलिए भागते समय मैनें अपने आप को बचाने के लिए असलहा सुजीत राजभर को दे दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कुन्दन यादव उर्फ अमरजीत यादव पुत्र विजय यादव निवासी अटेसुआ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल UP 65 CC 3076 हीरो स्पेलेण्डर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम औरा नहर- गहनी मोड़ से, दिनांक 03.11.2024 को समय करीब 14.30 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 0305/2019 धारा 307/394/411 भादवि व 7 सीएलए एक्ट चन्दवक जौनपुर
2.मु0अ0स0 0530/2019 धारा392/411 भादवि फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3.मु0अ0स0 0578/2019धारा 379/411 भादवि शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी
4.मु0अ0स0 0009/2020 धारा3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट चन्दवक जौनपुर
5.मु0अ0स0 0369/2021 धारा 323/427/504/506 भादवि चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
6.मु0अ0स0 0161/2023धारा 323/504 भादवि चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
7.मु0अ0स0 0251/2024 धारा 115(2)/191(2)/324(2)/333/351(3)/352 बीएनएस चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
8.मु0अ0स0 0360/2024 धारा 109(1)/191(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 लल्लन सिंह यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
2.उ0नि0 विकास कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
3.हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
4.हे0का0 महेन्द्र यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।

03